आवश्यक
रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)(1) परीक्षा 2011/अलेसे–।।/14886 दिनांकः–19 अगस्त 2013

श्री सुनील कुमार जैन,
ग्रा.पो. नगर कोर्ट, थाना नगर फोर्ट,
तहसील देवली वाया उनियारा
जिला टोंक – 304024

विषयः– लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में चयनित होने के उपरान्त लेखाकार पद पर नियुक्ति के क्रम में।
संदर्भः– विभागीय पत्रांक 14900 व 14557 दिनांक 11.01.2013 एवं 24.07.2013

विषयान्तर्गत दिनांक 30.10.2012 को प्रमाण–पत्रों की जांच के दौरान उपस्थित होने पर आपसे तत्समय बकाया रहे सन्तान प्रमाण–पत्र (मूल एवं सत्यापित फोटोप्रति) दिनांक 05 अगस्त 2013 तक विभाग को प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्रांक 14557 दिनांक 24.07.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु आदिनांक तक आपके द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतः इस क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बकाया सन्तान प्रमाण–पत्र (मूल एवं सत्यापित फोटोप्रति) दिनांक 29 अगस्त 2013 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए कि आप विभाग में लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है, आपकी नियुक्ति की पात्रता का रद्द करते हुए तद्नुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचित कर दिया जावेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)(1) परीक्षा 2011/अलेसे–।।/14887 दिनांकः–19 अगस्त 2013

प्रतिलिपि उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)